न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– संजीव कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 49 / 2020

1. तुलछादेवी पत्नि स्व0 हरीराम जाति जाट निवासी मनाफरसर
2. रामचन्द्र
3. मनीराम
4. रामेश्वर उर्फ रमेशचन्द
   } पि0 हरीराम जाति जाट मनाफरसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर
5. सुशिलादेवी
6. ओमप्रकाश
7. दलीप कुमार
   } पि0 नानूराम जाति जाट निवासहीगण मनाफरसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर

बनाम

1.रामकरण
2. सोहनराम उर्फ सोहनलाल } पि0 नानूराम जाति जाट निवासीगण मनाफरसर तहसील लूनकरनसर बीकानेर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूनकरनसर जिला बीकानेर
4.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूनकरनसर

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीएक्ट 131,136 एलआरएक्ट

उपस्थित 1. श्री रामकरण मूण्ड वादीगण की ओर से
2. श्री नेतराम सियाग प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से
3. पैरोकार राज स्टेट की ओर से

दिनांक: 29/09/2023

निर्णय

पत्रावली हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई। वादी ने यह अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीएक्ट एवं धारा 131,136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत कर घोषणा बाबत चिरस्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती बाबत मौजा रोही ग्राम रोही धीरदान तहसील लूनकरनसर के पुराने खसरा नम्बर 36 मीन तादादी 33.12 बीघा, जिसके नये खसरा नम्बर 351 तादादी 33.12 बीघा जिसके नये भू प्रबन्ध विभाग के खसरा नम्बर 485 तादादी 8.50 हैक्टेयर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता/पति नानूराम के नाम की आवंटनशुदा भूमि है आवंटन के दिन से वादीगण के पिता/पति का उक्त भूमि पर लगातार काबिज होकर काश्त करते थे व उनकी मृत्यु के बाद हम वादीगण व प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि पर काश्त करते आ रहे है उपरोक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुस्तेनी भूमि है जिसके चारों ओर कांटो की वाड बनी हुई व बाड के साथ तारबन्छी की हुई लिजस पर घरेलू बंटवारे के हिसाब से वादीगण एवं प्रतिवादीगण अलग–अलग अपने हिस्सा पर शान्ति पूर्वक काश्त करते रहे है व प्रतिवादीगण संख्या 2 के नाम से अलग से आवंटनशुदा है जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जाकाश्त है व चारों बाड बनी हुई है। प्रतिवादी संख्या 2 की भूमि पुस्तेनी भूमि के पश्चिम दिशा मे चिपती हुई भूम है वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 485 की भूमि के उत्तर दिशा मे चिपते हुए खसरा नम्बर 482 है व पश्चिम दिशा मे चिपते हुए खसरा नम्बर 484 है।

ग्राम धीरदान की रोही का भू प्रबन्ध विभाग ने बन्दोबस्त की कार्यवाही मे पुराने खसरा नम्बर 36 मीन का नया खसरा नम्बर 350 व 351 बनाए व सम्वत 2009 से 2011 के मध्य भू प्रबन्ध ने पुराने खसरा नम्बर 350 के नया खसरा नम्बर 484 बनाए व खसरा नम्बर 351 के नये खसरा नम्बर 485 बनाकर मिसल बन्दोबस्त एवं नक्शा जिला कलेक्टर बीकानेर को सुपुर्द कर दिया गया है। वादीगण द्वारा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किए गए मिसल बन्दोबस्त एवं एक्स की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तो पता चला कि भू प्रबन्ध विभाग के अमला ने पुराने खसरा नम्बर 36 मीन

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

तादादी 33.12 बीघा के नये खसरा नम्बर 351 तादादी 33.12 बीघा जिसके सम्वत 2009 से 2011 के भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नये खसरा नम्बर 485 तादादी 8.50 हैक्टेयर बनाकर मौका के विपरीत उपरोक्त भूमि को तरमीम कर दी गई प्रतिवादीगण संख्या 2 के नाम पुराने खसरा नम्बर 36 तादादी 23.10 बीघा जिसके खसरा नम्बर 350 तादादी 23.10 बीघा भू प्रबन्ध विभाग सम्वत 2009 से 2011 के नये खसरा नम्बर 484 तादादी 12.65हैक्टेयर बनाकर मौका के विपरीत वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुस्तेनी भूमि के उत्तर दिशा मे तरमीम कर दी गई जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के उत्तर दिशा में चिपते ही खसरा नम्बर 482 है। प्रतिवादीगण संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 485 के पश्चिम दिशा मे चिपती हुई भूमि है जबकि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना कब्जा जांच किये हुए बिना वादी को सुने हुए काश्त के विपरीत प्रतिवादी संख्या 2 के खसरा नम्बर 484 व वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुस्तेनी भूमि की गई तरमीम को निरस्त फरमाकर पुराने कब्जाकाश्त के अनुसार एक्स मे फीटिंग की जावें व भू प्रबन्ध विभाग की गलत तरमीम को निरस्त फरमाया जावे। अतः वादी वकील द्वारा वादीगण की उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाकर नया खसरा नम्बर 485 की व प्रतिवादीगण संख्या 2 के नाम नये खसरा नम्बर 484 जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुस्तेनी पुराने कब्जे काश्त की भूमि की उत्तर दिश पर कि गई भू प्रबन्ध विभाग की गलत तरमीम के आधार पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा गलत तरमीम कि गई को अवैध एवं निष्प्रभावी घोषित कराकर पुराने कब्जेकाश्त के अनुसार नये खसरा नम्बर 484, 485 की भूमि की तरमीम मौका व कब्जा अनुसार दुरूस्त करवाने का निवेदन किया गया।

वाद को दर्ज रजिस्टर करने के पश्चात प्रतिवादी को रजिस्टर्ड समन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की संख्या 1ता2 की ओर से अधिवक्ता नेतराम सियाग द्वारा पेश जवाब मे प्रतिवादी ने वादपत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 1ता5,11,12 को स्वीकार किया बिन्दू संख्या 12 मे भूप्रबन्ध विभाग द्वारा पूर्व तरमीम के विपरित जाकर गलत तरमीम की है वादी एवं प्रतिवादीगण की तरमीम मौका के विपरित भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की है जिसको निरस्त कर पूर्व तरमीम के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की तरमीम किए जाने हेतु निवेदन किया गया। वाद–पत्र मे प्रस्तुत तथ्य स्वीकार होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही हैं। अतः निर्णय हेतु निवेदन किया गया।

स्टेट की ओर से राजपेरोकार उपस्थित । चूंकि प्रकरण प्रकरण खातेदारो की मध्य है । अतः राज्य हित प्रभावित नहीं होता हैं। अतः पक्षकारो के मध्य बहस सून निर्णय हेतु निवेदन किया गया।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी गई। वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादी वकील द्वारा निवेदन किया गया कीग्राम धीरदान की रोही का भू प्रबन्ध विभाग ने बन्दोबस्त की कार्यवाही मे पुराने खसरा नम्बर 36 मीन का नया खसरा नम्बर 350 व 351 बनाए व सम्वत 2009 से 2011 के मध्य भू प्रबन्ध ने पुराने खसरा नम्बर 350 के नया खसरा नम्बर 484 बनाए व खसरा नम्बर 351 के नये खसरा नम्बर 485 बनाबर मिसल बन्दोबस्त एवं नक्शा जिला कलेक्टर बीकानेर को सुपुर्द कर दिया गया है। वादीगण द्वारा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किए गए मिसल बन्दोबस्त एवं एक्स की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तो पता चला कि भू प्रबन्ध विभाग के अमला ने पुराने खसरा नम्बर 36 मीन तादादी 33.12 बीघा के नये खसरा नम्बर 351 तादादी 33.12 बीघा जिसके सम्वत 2009 से 2011 के भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नये खसरा नम्बर 485 तादादी 8.50 हैक्टेयर बनाकर मौका के विपरीत उपरोक्त भूमि को तरमीम कर दी गई प्रतिवादीगण संख्या 2 के नाम पुराने खसरा नम्बर 36 तादादी 23.10 बीघा जिसके खसरा नम्बर 350 तादादी 23.10 बीघा भू प्रबन्ध विभाग सम्वत 2009 से 2011 के नये खसरा नम्बर 484 तादादी 12.65हैक्टेयर बनाकर मौका के विपरीत वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुस्तेनी भूमि के उत्तर दिशा मे तरमीम कर दी गई जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के उत्तर दिशा में चिपते ही खसरा नम्बर 482 है।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

प्रतिवादीगण संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 485 के पश्चिम दिशा मे चिपती हुई भूमि है जबकि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना कब्जा जांच किये हुए बिना वादी को सुने हुए काश्त के विपरीत प्रतिवादी संख्या 2 के खसरा नम्बर 484 व वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुरतेनी भूमि की गई तरमीम को निरस्त फरमाकर पुराने कब्जाकाश्त के अनुसार एक्स मे फीटिंग की जावें व भू प्रबन्ध विभाग की गलत तरमीम को निरस्त फरमाया जाकर कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

वादपत्र में वर्णित कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेज शपथ पत्र आदि का भलीभांती अध्ययन किया गया। वाद पत्र के समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेजो मे ट्रेश नक्शा धीरदान, ग्राम धीरदान जमाबन्दी प्रति संवत् 2071–74 ग्राम धीरदान खसरा नम्बर 484,482,485 तादादी 21.15 हैक्टेयर, जमाबन्दी ग्राम धीरदान संवत् 2067–2070 खसरा नम्बर 350,348,351, मिलान क्षैत्रफल मौजा रोही धीरदान वर्तमान खसरा नम्बर 126,348,350,351, भू प्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल आदि पेश किए गए।

अतः प्रस्तुत शपथ पत्र, दस्तावेज रिकॉर्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि भू प्रबन्ध विभाग के अमला ने पुराने खसरा नम्बर 36 मीन तादादी 33.12 बीघा के नये खसरा नम्बर 351 तादादी 33.12 बीघा जिसके सम्वत 2009 से 2011 के भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नये खसरा नम्बर 485 तादादी 8.50 हैक्टेयर बनाकर मौका के विपरीत उपरोक्त भूमि को तरमीम कर दी गई जिसकी पुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजो से होती है। प्रतिवादीगण संख्या 2 के नाम पुराने खसरा नम्बर 36 तादादी 23.10 बीघा जिसके खसरा नम्बर 350 तादादी 23.10 बीघा भू प्रबन्ध विभाग सम्वत 2009 से 2011 के नये खसरा नम्बर 484 तादादी 12.65 हैक्टेयर बनाकर मौका के विपरीत वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुस्तेनी भूमि के उत्तर दिशा मे तरमीम कर दी गई जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के उत्तर दिशा में चिपते ही खसरा नम्बर 482 हैं। प्रतिवादीगण संख्या 2 की भूमि खसरा नम्ब्र 485 के पश्चिम दिशा मे चिपती हुई भूमि है जो मुताबिक कब्जा अनुसार सही है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा ना तो मोका की जांच की ना मौका देखा मौका के विपरित जाकर तरमीम की गई हैं। इस कारण उक्त तरमीम वादी के अधिकारो पर प्रभाव शुन्य हैं। अतः उक्त खसरा नम्बर मोजा रोही धीरदान मे पुरानी तरमीमशुदा भूमि की भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मौका के विपरीत तरमीम को निरस्त किया जाता हैं। मौजा रोही धीरदान मे उक्त खसरा नम्बर 484, 485 की भूमि पुरानी तरमीम एवं कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती करने की घोषणा की जाती हैं। तदानुसार डिकी जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांक 29.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : संजीव कुमार, आरएएस

तुलछादेवी वगै **बनाम** रामकरण वगै.

दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आरटीए एवं धारा 131,136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :- **49 / 2020**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू [illegible] व हाजरी **वादी वकील श्री रामकरण मूण्ड,** मिनजानिब मुदई नेतराम सियाग एवं **पैरोकार राज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया [illegible] कि [illegible] वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि मौजा रोही [illegible] खसरा नम्बर 484,485 मे पुरानी तरमीमशुदा भूमि की [illegible] के विपरीत तरमीम को निरस्त किया जाता है। मौजा रोही [illegible] खसरा नम्बर 484, 485 की भूमि पुरानी तरमीम एवं कब्जे काश्त के अनुसार [illegible] रिकॉर्ड मे दुरूस्ती करने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार [illegible] मुताबिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करें।

नीज .... - [illegible] - ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद [illegible] - [illegible] सादी सालाना आज की तारीख से [illegible] - [illegible] अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज [illegible] 25.09.2023 को डिग्री जारी की गई।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर